



Neutral Citation No. - 2026:AHC:5093

ए.एफ.आर.

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक पुनरीक्षण संख्या - 8411/2025

संजय यादव

.....पुनरीक्षणकर्ता(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य

.....विपक्षी(गण)

पुनरीक्षणकर्ता(गण) के अधिवक्ता:कुंवर अभिषेक सिंह, सुरेश प्रताप सिंह
विपक्षी(गण) के अधिवक्ता : शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 87

माननीय न्यायमूर्ति अब्दुल शाहिद,

- पुनरीक्षणकर्ता संजय यादव के विद्वान अधिवक्ता और राज्य के विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता की दलीलें सुनी गईं।
- पुनरीक्षणकर्ता ने यह आपराधिक पुनरीक्षण याचिका गोरखपुर के विशेष न्यायाधीश (अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति अधिनियम) द्वारा आपराधिक विविध मामला संख्या 587/2024 में दिनांक 17.09.2025 को पारित आदेश, साथ ही गोरखपुर के विशेष न्यायाधीश (अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति अधिनियम) द्वारा आपराधिक अपील संख्या 96/2022 (संजय यादव बनाम मिथिलेश नारायण पांडे) में दिनांक 26.10.2023 को पारित आदेश और गोरखपुर के प्रथम अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा शिकायत मामला संख्या 1400/2020, मिथिलेश नारायण पांडे बनाम संजय यादव, परक्राम्य लिखत अधिनियम के धारा 138 के तहत पुलिस स्टेशन- सहजनवा, जिला- गोरखपुर में दिनांक 20.05.2022 को पारित निर्णय के विरुद्ध दायर की है।
- पुनरीक्षणकर्ता/आरोपी के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया है कि पुनरीक्षणकर्ता को गोरखपुर के प्रथम अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा दिनांक 20.05.2022 को शिकायत मामला संख्या 1400/2020, मिथिलेश नारायण पांडे बनाम संजय यादव, परक्राम्य लिखत अधिनियम के धारा 138 के तहत, पुलिस स्टेशन सहजनवा, जिला गोरखपुर में पारित निर्णय और आदेश द्वारा दोषी ठहराया गया और सजा सुनाई गई।
- दिनांक 20.05.2022 के उपरोक्त निर्णय और दोषसिद्धि एवं सजा के आदेश से व्यथित होकर, पुनरीक्षणकर्ता/आरोपी ने गोरखपुर के माननीय सत्र न्यायालय में आपराधिक अपील संख्या 96/2022 (संजय यादव बनाम मिथिलेश नारायण पांडे) के तहत परिसीमा अवधि के भीतर आपराधिक अपील दायर की। पुनरीक्षणकर्ता/आरोपी लगातार जेल में था। उक्त आपराधिक अपील दिनांक 26.10.2023 को चूक के कारण खारिज कर दी गई।

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



5. इसके बाद, पुनरीक्षणकर्ता/आरोपी संजय यादव ने 31.08.2024 को परिसीमा अधिनियम की धारा 5 के तहत एक आवेदन के साथ एक और आपराधिक अपील दायर की, जिसमें 26.10.2023 के आदेश को रद्द करने और आठ महीने की अवधि के बाद दूसरी अपील दायर करने में हुई देरी को माफ करने की मांग की गई थी। परिसीमा अधिनियम की धारा 5 के तहत उक्त आवेदन को गोरखपुर के माननीय विशेष न्यायाधीश (अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति अधिनियम) ने आपराधिक विविध मामला संख्या 587/2024 में 17.09.2025 को पारित आदेश द्वारा खारिज कर दिया। अतः, वर्तमान आपराधिक पुनरीक्षण याचिका दायर की गई है।

6. पुनरीक्षणकर्ता/आरोपी संजय यादव को 20.05.2022 को दोषी ठहराया गया और सजा सुनाई गई। इसके बाद, उन्होंने आपराधिक अपील संख्या 96/2022 दायर की, जिसे 26.10.2023 को चूक के कारण खारिज कर दिया गया। अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता की अनुपस्थिति के कारण आपराधिक अपील संख्या 96/2022 को खारिज करना विधि के विरुद्ध है और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 425 (जो धारा 384 दण्ड प्रक्रिया संहिता के समतुल्य है) के अनुरूप नहीं है।

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 425 नीचे उद्धृत की गई है:

"425. अपील का संक्षिप्त खंडन। (1) यदि अपील याचिका और धारा 423 या धारा 424 के तहत प्राप्त निर्णय की प्रति की जांच करने पर अपीलीय न्यायालय को हस्तक्षेप करने का पर्याप्त आधार न मिले, तो वह अपील को संक्षिप्त रूप से खारिज कर सकता है: बशर्ते कि-

(क) धारा 423 के तहत प्रस्तुत कोई भी अपील तब तक खारिज नहीं की जाएगी जब तक कि अपीलकर्ता या उसके अधिवक्ता को उसके समर्थन में सुनवाई का उचित अवसर न दिया गया हो;

(ख) धारा 424 के तहत प्रस्तुत कोई भी अपील अपीलकर्ता को उसके समर्थन में सुनवाई का उचित अवसर दिए बिना खारिज नहीं की जाएगी, जब तक कि अपीलीय न्यायालय यह न समझे कि अपील तुच्छ है या न्यायालय के समक्ष हिरासत में आरोपी को पेश करने से ऐसी असुविधा होगी जो मामले की परिस्थितियों में अनुपातहीन होगी;

(ग) धारा 424 के तहत प्रस्तुत कोई भी अपील तब तक संक्षिप्त रूप से खारिज नहीं की जाएगी जब तक कि ऐसी अपील प्रस्तुत करने के लिए अनुमत अवधि समाप्त न हो जाए।

(2) इस धारा के तहत अपील खारिज करने से पहले, न्यायालय मामले का अभिलेख मंगवा सकता है।

(3) जहां यदि अपील न्यायालय इस धारा के अंतर्गत किसी अपील को खारिज करता है, और यदि वह सत्र न्यायालय या मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट का न्यायालय है, तो उसे ऐसा करने के कारणों को दर्ज करना होगा।

(4) जहाँ धारा 424 के तहत प्रस्तुत अपील को इस धारा के तहत संक्षेप में खारिज कर दिया गया है और अपीलीय न्यायालय पाता है कि उसी अपीलकर्ता की ओर से धारा 423 के तहत विधिवत प्रस्तुत की गई दूसरी अपील याचिका पर उसने विचार नहीं किया है, तो वह न्यायालय, धारा 434 में निहित किसी भी बात के बावजूद, यदि संतुष्ट है कि ऐसा करना न्याय के हित में आवश्यक है, तो ऐसी अपील की सुनवाई कर सकता है और कानून के अनुसार उसका निपटारा कर सकता है।"

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



7. माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने के. मुरुगनंदम और अन्य बनाम राज्य प्रतिनिधि, पुलिस अधीक्षक और अन्य, (2021) 20 एससीसी 642, के मामले में यह माना है कि न्यायालय केवल एमिकस क्यूरी नियुक्त करने के बाद ही मामले की सुनवाई करने के लिए बाध्य है, लेकिन केवल आरोपी के अधिवक्ता की अनुपस्थिति या चूक के कारण अपील को खारिज नहीं कर सकता है। उपरोक्त निर्णय का प्रासंगिक अनुच्छेद नीचे उद्धृत किया जा रहा है:

"8. यह सर्वविदित है कि यदि आरोपी द्वारा नियुक्त अधिवक्ता के माध्यम से उपस्थित नहीं होता है न्यायालय किसी भी मामले की सुनवाई केवल एमिकस क्यूरी (अदालती अधिवक्ता) नियुक्त करने के बाद ही आगे बढ़ाने के लिए बाध्य है, लेकिन केवल आरोपी के अधिवक्ता की अनुपस्थिति या चूक के कारण अपील को खारिज नहीं कर सकता (देखें कबीरा बनाम उत्तर प्रदेश राज्य¹ और मोहम्मद सुकुर अली बनाम असम राज्य)।"

8. दिनांक 26.10.2023 का आपराधिक अपील संख्या 96/2022 को चूक के कारण खारिज करने का आदेश प्रारंभ से ही पूर्णतः अमान्य है। अतः, आपराधिक अपील संख्या 96/2022 (संजय यादव बनाम मिथिलेश नारायण पांडे) में दिनांक 26.10.2023 को पारित उक्त आदेश को निरस्त किया जाता है। फलस्वरूप, विशेष न्यायाधीश (अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति अधिनियम), गोरखपुर द्वारा आपराधिक विविध मामला संख्या 587/2024 में परिसीमा अधिनियम की धारा 5 के तहत दिनांक 17.09.2025 को पारित विवादित आदेश का कोई कानूनी महत्व नहीं है और इसे भी निरस्त किया जाता है।

9. दूसरी आपराधिक अपील दायर करने की कोई आवश्यकता या कानूनी अनिवार्यता नहीं है। आपराधिक अपील संख्या 96/2022, जो पुनरीक्षणकर्ता/आरोपी द्वारा निर्धारित समय सीमा के भीतर दायर की गई थी, वैध है और कानून के प्रावधानों के अनुरूप है। इस पर केवल गुण-दोष के आधार पर निर्णय लिया जा सकता है, इसे चूक के आधार पर खारिज नहीं किया जा सकता। तदनुसार, आपराधिक अपील संख्या 96/2022 (संजय यादव बनाम मिथिलेश नारायण पांडे) को उसके मूल क्रमांक पर बहाल किया जाता है।

10. माननीय अपीलीय न्यायालय को निर्देश दिया जाता है कि वह आपराधिक अपील का यथाशीघ्र निर्णय करे।

11. तदनुसार, वर्तमान आपराधिक पुनरीक्षण याचिका स्वीकार की जाती है।

(अब्दुल शाहिद, न्यायमूर्ति)

8 जनवरी, 2026

के.के. मौर्य

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"